पत्रांकः 6प / नि०प्र० / अनु०अनु० / 17–03 / 2026 / 18(लि०)/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक 17 / 6 / 2026

विषय : संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव / ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवाकाल में मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹32,00,000.00 (बत्तीस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

02. जिलाधिकारी, दरभंगा, के पत्रांक 1320 दिनांक 15.05.2026, के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, दरभंगा, के आदेश में स्व० शशिकान्त कुमार, न्यायमित्र, ग्राम पंचायत–भैनी, प्रखंड–बिरौल, जिला–दरभंगा, की दिनांक 30.06.2025 को सेवा अवधि के दौरान हुई मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रिता श्रीमती रंजू कुमार (पत्नी) को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्राप्त है। तथा उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी विभाग से किया गया है ।

03. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–1292 दिनांक–19.05.2026, के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश में स्व० मिथिलेश कुमार, न्यायमित्र, ग्राम पंचायत–बुधसी, प्रखंड–सिधवालिया, जिला–गोपालगंज, की दिनांक 05.12.2023 को सेवा अवधि के दौरान हृदयघात से हुई मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रिता श्रीमती नीतू कुमारी (पत्नी) को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्राप्त है। तथा उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी विभाग से किया गया है ।

04. साथ ही जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1754 दिनांक 22.05.2026 के माध्यम से स्व० पुतुल देवी, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी–पैनाल, प्रखण्ड–बिहटा, जिला–पटना की दिनांक 02.07.2026 को सेवा अवधि के दौरान सड़क दूर्घटना से हुई मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित श्री अनिल कुमार (पति) को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि

कृ०पृ०उ०

की स्वीकृति प्राप्त है। तथा उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी विभाग से किया गया है।

05. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 1623 दिनांक 25.05.2026 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, सिवान के अभिलेख संख्या–03/26–27 में स्व० अरविन्द कुमार सिंह, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम पंचायत–भिट्ठी, प्रखंड–गोरेयाकोठी, जिला–सिवान की दिनांक 14.09.2024 को सेवा अवधि के दौरान हुई मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रिता श्रीमती फुलकमल कुमारी (पत्नी) को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है। तथा उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी विभाग से किया गया है।

साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 1591 दिनांक 21.05.2026, के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, सिवान के अभिलेख संख्या–02/26–27 में स्व० अरुण कुमार सिंह, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम पंचायत–बलेथा, प्रखंड–सिवान सदर, जिला–सिवान की दिनांक 18.09.2024 को सेवा अवधि के दौरान हुई मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रिता श्रीमती उषा सिंह (पत्नी) को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है। तथा उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी विभाग से किया गया है।

06. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1182 दिनांक 26.05.2026, के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक–657 18.03.2025 में स्व० मंजूर अहमद रिजवान, कचहरी सचिव, ग्राम पंचायत–डुब्बा, प्रखंड–जोकीहाट, जिला–अररिया, की दिनांक 22.03.2021 को सेवा अवधि के दौरान हुई मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रिता बीबी निलोफर शाहीन (पत्नी) को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है। तथा उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी विभाग से किया गया है।

07. जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–234 दिनांक–06.05.2026 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के अभिलेख में स्व० जयलाल राम, कचहरी न्यायमित्र, ग्राम पंचायत–बरवा कंठ छपरा, प्रखंड–कोटवा, जिला– पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, की दिनांक 31.01.2024 को सेवा अवधि के दौरान हुई मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रिता श्रीमती इन्दु देवी (पत्नी) को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है। तथा उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी विभाग से किया गया है।

08. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–1044 दिनांक 10.04.2026 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के आदेश फलक ज्ञापाक–1997 दिनांक–22.08.24 में स्व० मालती कुमारी, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम पंचायत–रजौड़ा,

प्रखंड– बेगूसराय सदर, जिला– बेगूसराय, की दिनांक 11.06.2023 को सेवा अवधि के दौरान हुई मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित श्री विजय कुमार (पति) को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है। तथा उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी विभाग से किया गया है।

09. उक्त के आलोक में **पंचायती राज विभाग, बिहार के आदेश संख्या–216/पं०रा०,सहपठित ज्ञापांक–7243 दिनांक–11.11.2019** एवं जिला पदाधिकारी, से प्राप्त उक्त अनुशंसा/स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र०सं०	मृत कर्मी का नाम एवं पता	पदनाम	स्वीकृत राशि
1	स्व० शशिकान्त कुमार	**ग्राम कचहरी न्यायमित्र**	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपया)
2	स्व० मिथिलेश कुमार	**ग्राम कचहरी न्यायमित्र**	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपया)
3	स्व० स्व० पुतुल देवी	**ग्राम कचहरी सचिव**	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपया)
4	स्व० अरविन्द कुमार सिंह	**ग्राम कचहरी न्यायमित्र**	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपया)
5	स्व० अरुण कुमार सिंह	**ग्राम कचहरी न्यायमित्र**	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपया)
6	स्व० मंजूर अहमद रिजवान	**ग्राम कचहरी सचिव**	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपया)
7	स्व० जयलाल राम	**ग्राम कचहरी न्यायमित्र**	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपया)
8	स्व० मालती कुमारी	**ग्राम कचहरी न्यायमित्र**	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपया)
कुल		**₹32,00,000.00** (बत्तीस लाख रूपये)	

10. इस स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु–शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु के विषय शीर्ष–0010.37.01–अनुग्रह अनुदान" से होगा। जिसकी मांग सं0–16 एवं विपत्र कोड–16–2515001980010 है।

11. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सिवान, अररिया, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं बेगूसराय होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सिवान, अररिया, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं बेगूसराय से कर मृतक के आश्रित के खाते में जाचोंपरान्त CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

कृ०पृ०उ०

D:\DATA\My Office Work\Vibhag\Dheeraj system 15122025\Anugrah anudan\4 lakh anugrah anudan\4 lakh swekrityadesh.docx 60

साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक को पूर्व में किसी अन्य कोष (यथा NDRF, SDRF अथवा समरूप किसी आपदा कोष) से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

12. स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सिवान, अररिया, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं बेगूसराय से वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

13. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17–03/2026 में पृष्ठ संख्या–05... /टि0 पर दिनांक–09/06/26 को प्राप्त है।

15. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्योदश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17–03/2026 के पृष्ठ–05 /टि0 पर दिनांक–09/06/26 को प्राप्त है।

16. इस स्वीकृत राशि का नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

17. राशि की स्वीकृति यह मानकर दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सिवान, अररिया, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं बेगूसराय के द्वारा संबंधित कर्मियों की मृत्यु एवं उनके सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच अपने स्तर से करा ली गयी है।

18. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

13/6/26

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांकः 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17–03/2026/ 18(590) /पं०रा० पटना, दिनांक 17/6/26

प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सिवान, अररिया, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सिवान, अररिया, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं बेगूसराय/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सिवान, अररिया, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/6/26

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांकः 6प / नि०प्र० / अनु०अनु० / 17–03 / 2026 / 18(५९७) / पं०रा० पटना, दिनांक 17/6/26
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 17/6/26
अपर सचिव

ज्ञापांकः 6प / नि०प्र० / अनु०अनु० / 17–03 / 2026 / 18(५९७) / पं०रा० पटना, दिनांक 17/6/26
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी–5(बजट) / आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 17/6/26
अपर सचिव

ज्ञापांकः 6प / नि०प्र० / अनु०अनु० / 17–03 / 2026 / 18(५९७) पं०रा० पटना, दिनांक 17/6/26
प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 17/6/26
अपर सचिव